मॉड्यूल 4: किशोर न्याय बोर्ड

सत्र 1: संरचना और गठन

अवधि: 3:29 मिनट

जघन्य अपराधों की जाँच करते समय निम्नलिखित बातों का अवश्य ध्यान रखा जाना चाहिए:

- यदि बच्चा 16 वर्ष से अधिक उम्र का है तो एक आरम्भिक आंकलन किया जाएगा और यदि बोर्ड यह विचार करता है कि इस मामले में कानूनी कार्यवाही वयस्क के अनुसार चलायी जाए तो मामले को बाल न्यायालय को स्थानांतरित कर दी जाऐगी।
- यदि आरम्भिक जाँच के आलोक में बोर्ड इस बात पर संतुष्ट है कि मामले का निष्पादन बोर्ड द्वारा ही किया जाना चाहिए तब इसमें गंभीर अपराधों में पालन की जाने वाली प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

किशोर न्याय बोर्ड के अन्य महत्वपूर्ण उत्तरदायित्वों में शामिल है:

- कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों की देखरेख के लिए 'उपयुक्त व्यक्ति' घोषित करने के लिए जाँच करना।
- कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों हेतु संचालित आवासीय देखरेख संस्थानों का माह में कम से कम एक बार निरीक्षण करना और जिला बाल संरक्षण इकाई तथा राज्य सरकार को सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्यवाही की अनुशंसा भेजना।
- कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे के खिलाफ किए गए अपराधों और देखरेख तथा संरक्षण के जरूरतमंद बच्चे के खिलाफ हुए अपराध के संबंध में बाल कल्याण समिति द्वारा लिखित रूप से प्राप्त शिकायत के आलोक में पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश देना।
- वयस्कों के लिए संचालित कारावासों का नियमित निरीक्षण करना और यह देखना कि इनमें कोई बाल बन्दी तो नहीं है और यदि कोई बच्चा दिखे तो उसे तुरन्त जेल से पर्यवेक्षण गृह में स्थानांतरित करवाने के तत्काल उपाय करना।
- उपयुक्त समय की समाप्ति के बाद दोष सिद्ध करने वाले कागज़ातों को नष्ट करने का आदेश पारित करना।

उपरोक्त शक्तियों, कार्यों तथा उत्तरदायित्वों के अलावा, निष्पक्ष तथा त्वरित जाँच सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 14 उपधारा 5 के तहत निम्नलिखित सुनिश्चित करता है:

- जाँच शुरू करने के समय बोर्ड संतुष्ट हो ले कि कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे के साथ, पुलिस या किसी अन्य व्यक्ति जिसमें वकील और परिवीक्षा अधिकारी भी शामिल हैं, द्वारा कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया है और यदि कोई दुर्व्यवहार किया गया है तो सुधारात्मक कदम उठाएं।
- अधिनियम के तहत की जाने वाली कार्यवाही यथासंभव सहज तथा बाल मित्रवत् वातावरण में की जाएगी।

- बोर्ड के समक्ष लाए गए प्रत्येक बच्चे को सुने जाने का तथा जाँच में भागीदारी का अवसर प्रदान किया जाएगा।